मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 204/2016 (रे.वाद)

वादीपक्ष –
1. प्रकाश पिता स्व0 मोहनलाल कलाल (टांक) निवासी सिंहाड तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द

बनाम

प्रतिवादीपक्ष –
1. अधीक्षक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजसमन्द जिला राजसमन्द
2. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

दावा :– घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादी की ओर से – श्री संदीप सनाढ्य, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

मैं इस आशय में दिनांक 12/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि उपरोक्त तनकीवार विवेचन के अधार पर वादी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना वादपत्र सिद्व करने में सफल रहने एवं पटवारी रिपार्ट प्रदर्श–08 एवं तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट प्रदर्श–09 के अनुसार भी उक्त भूमि अवाप्त नही होना पाया जाने से वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा के वादग्रस्त आराजी संख्या 3561/1660 रकबा 00–01–07 बीघा का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते है तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 12/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द